21

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

टी. ओ. संख्या 91

मूल्य : 14.00 रु.

© 2014 लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम (पन्द्रहवां संस्करण) के नियम 382 के अधीन प्रकाशित और मै. जैनको आर्ट इंडिया, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।

आमुख

यह सारांश संसदीय प्रक्रिया सारांश माला का भाग है और इसमें अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति से संबंधित प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। यह लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों, प्रक्रिया नियमों के अंतर्गत अध्यक्ष द्वारा जारी निदेशों तथा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति (आंतरिक कार्य प्रणाली) के प्रक्रिया नियमों पर आधारित है। यह संदर्शिका तत्काल संदर्भ के प्रयोजन के लिए है।

इस सारांश में दी गई जानकारी संपूर्ण नहीं है। अत: पूर्ण जानकारी के लिए मूल स्रोतों का ही अवलोकन करें और उन्हीं को विश्वसनीय मानें।

नई दिल्ली;
अप्रैल, 2014
वैशाख, 1936 (शक)

पी. श्रीधरन,
महासचिव।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति

संरचना

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति में 30 सदस्य होते हैं जिनमें से बीस सदस्य लोक सभा द्वारा प्रतिवर्ष अपने सदस्यों में से आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित किये जाते हैं और दस सदस्य राज्य सभा द्वारा अपने सदस्यों में से समिति में सहयोजित किए जाने के लिए निर्वाचित किए जाते हैं। इस निर्वाचन प्रणाली से यह सुनिश्चित होता है कि प्रत्येक दल/ग्रुप को दोनों सदनों में उसकी सदस्य संख्या के अनुपात में समिति में प्रतिनिधित्व दिया गया है।

निर्वाचन प्रक्रिया

2. संसदीय कार्य मंत्री अथवा समिति के/की सभापति, यदि पदासीन हों, द्वारा लोक सभा में बजट सत्र की शुरुआत और 30 अप्रैल को समिति का कार्यकाल समाप्त होने के पहले हर वर्ष एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है जिसमें सभा के सदस्यों से अनुरोध किया जाता है कि वे अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित

जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के लिए अपने में से 20 सदस्य निर्वाचित करें। प्रस्ताव के स्वीकृत हो जाने के पश्चात् नामांकन-पत्र भरने/नाम वापस लेने और निर्वाचन, यदि आवश्यक हो, की तिथियां निर्धारित करने संबंधी एक कार्यक्रम लोक सभा समाचार भाग-दो में अधिसूचित किया जाता है। नामांकन-पत्र प्राप्त होने के बाद नामांकन-पत्र भरने वाले व्यक्तियों की सूची सूचना-पट्ट पर लगायी जाती है। यदि नाम वापस लेने की निर्धारित तिथि के बाद नामनिर्दिष्ट सदस्यों की संख्या निर्वाचित किये जाने वाले सदस्यों की संख्या के बराबर हो तो नामनिर्दिष्ट सदस्यों को निर्वाचित घोषित किया जाता है और परिणाम समाचार भाग-दो में प्रकाशित किया जाता है। यदि नाम वापस लेने के बाद नामनिर्दिष्ट सदस्यों की संख्या निर्वाचित किये जाने वाले सदस्यों की संख्या से अधिक हो तो निर्धारित तिथि को निर्वाचन किया जाता है और इस निर्वाचन का परिणाम समाचार भाग-दो में प्रकाशित किया जाता है।

राज्य सभा के सदस्यों को सहयोजित करना

3. लोक सभा में एक और प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है जिसमें राज्य सभा से सिफारिश की जाती है कि वह समिति में सहयोजित किये जाने के लिए अपने 10 सदस्यों को नामनिर्दिष्ट करे। प्रस्ताव स्वीकृत होने के बाद उसे एक संदेश के माध्यम से राज्य सभा को भेज दिया जाता है। राज्य सभा अपने सदस्यों में से दस सदस्यों को निर्वाचित करने के बाद उनके नामों की सूचना लोक सभा को भेजती है।

2

सभापति की नियुक्ति

4. समिति का/की सभापति अध्यक्ष द्वारा, समिति के लिए निर्वाचित किये गये सदस्यों में से नियुक्त किया जाता है/की जाती है।

मंत्री समिति का सदस्य नहीं होता

5. कोई भी मंत्री समिति के/की सदस्य के रूप में निर्वाचित नहीं हो सकता/सकती, और यदि कोई सदस्य समिति के लिए निर्वाचित हो जाने के बाद मंत्री नियुक्त कर दिया जाता है/दी जाती है तो वह ऐसी नियुक्ति की तारीख से समिति का सदस्य नहीं रहता है/रहती है।

कार्यकाल

6. समिति के सदस्यों का कार्यकाल एक वर्ष से अधिक नहीं होता है।

समिति के कृत्य

7. समिति के महत्वपूर्ण कृत्य अन्य बातों के साथ-साथ राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रतिवेदनों पर विचार करना तथा उन पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही की रिपोर्ट देना, केन्द्रीय सरकार के विभागों, केन्द्रीय सरकारी उपक्रमों, राष्ट्रीयकृत बैंकों, सांविधिक तथा अर्ध-सरकारी निकायों की सेवाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व के बारे में जांच करना और

संघ राज्यक्षेत्रों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी कार्यक्रमों के कार्यकरण की समीक्षा करना है। समिति ऐसे अन्य मामलों की भी जांच करती है जिनकी जांच करना समिति उचित समझती हो, अथवा जो सभा या अध्यक्ष द्वारा उसे विशिष्ट रूप से सौंपे गये हों। समिति राज्य सरकारों द्वारा क्रियान्वित किये जाने वाले अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी विभिन्न कार्यक्रमों की भी जांच कर सकती है बशर्ते कि उनके लिए निधियां आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से केन्द्रीय सरकार द्वारा दी गई हों।

जांच के लिए विषयों का चयन

8. समिति अपने गठन के तुरन्त बाद अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण से संबंधित ऐसे विषयों का चयन करती है जिनकी जांच करना वह उचित समझती है। समिति अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण से संबंधित ऐसे विशेष मामलों की भी जांच करती है जो उसके कार्यकरण के दौरान उत्पन्न हों या उसके ध्यान में आयें अथवा जो उसे सभा या अध्यक्ष द्वारा विशिष्ट रूप से सौंपे जायें।

उप-समितियों/अध्ययन दलों की नियुक्ति

9. समिति चुने गए विभिन्न विषयों की विस्तृत जांच करने के लिए, समय-समय पर एक या अधिक उप-समितियां/अध्ययन

दल नियुक्त करती है। समिति, अपने प्रतिवेदनों में की गई विभिन्न सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही को दर्शाने वाले विवरणों की जांच करने के लिए की-गई-कार्यवाही प्रतिवेदनों संबंधी अध्ययन दल भी नियुक्त करती है। सभापति द्वारा उप-समितियों/अध्ययन दलों में सदस्यों की नियुक्ति, उनकी इच्छा जानने के बाद की जाती है। की-गई-कार्यवाही प्रतिवेदनों संबंधी अध्ययन दल में सामान्यत: सभी अध्ययन दलों के संयोजक होते हैं और समिति का सभापति इसका सभापति होता है। अध्ययन दलों के संयोजक सभापति द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जाते हैं।

सरकार से जानकारी मांगना

10. सर्वप्रथम समिति केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों/विभागों से जांचाधीन विषयों के संबंध में उनको भेजी गई प्रश्नावलियों के आधार पर प्रारंभिक सामग्री मांगती है। यदि आवश्यक समझा जाये तो प्राप्त सामग्री का अध्ययन करने के उपरांत, लिखित उत्तरों के लिए उन्हें और प्रश्नावली भेजी जाती है।

सरकारी/गैर-सरकारी प्रतिनिधियों का साक्ष्य

11. समिति जांचाधीन विषयों से संबंधित मंत्रालयों/विभागों और केन्द्रीय सरकारी उपक्रमों आदि के प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य लेती है। समिति ऐसे गैर-सरकारी प्रतिनिधियों का भी मौखिक साक्ष्य ले सकती है जिनका साक्ष्य समिति की जांच के लिए सहायक हो सकता है। कार्यवाही का शब्दश: रिकार्ड रखा जाता है।

मंत्रियों को समिति के समक्ष नहीं बुलाया जाता

12. मंत्रियों को समिति के समक्ष साक्ष्य देने के लिए अथवा समिति द्वारा परामर्श करने के लिए नहीं बुलाया जाता है।

अध्ययन दौरे

13. समिति, जांचाधीन विषयों और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित अन्य समस्याओं का मौके पर अध्ययन करने के लिए, विभिन्न राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों का अध्ययन दौरा भी करती है। इन दौरों पर जाने के लिए अध्यक्ष की पूर्व अनुमति लेने के उपरान्त समिति आमतौर पर दो अध्ययन दलों में विभक्त हो जाती है। अध्ययन दलों द्वारा की गई चर्चा अनौपचारिक होती है और उसका प्रयोजन समिति के जांचाधीन विषयों के संबंध में जानकारी एकत्रित करना होता है। दौरों के दौरान अध्ययन दल अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के संगठनों और संघों के प्रतिनिधियों से भी मिलते हैं और उनसे उनकी समस्याओं से संबंधित ज्ञापन तथा अभ्यावेदन प्राप्त करते हैं। दौरे के दौरान हुई विभिन्न चर्चाओं का संक्षिप्त रिकार्ड रखा जाता है और विस्तृत दौरा प्रतिवेदन तैयार किया जाता है। जिन्हें सभापति/संयोजक से अनुमोदित कराया जाता है; और तत्पश्चात् उन्हें संसद की दोनों सभाओं के पटल पर रखा जाता है। सदस्यों के उपयोग के लिए दौरा प्रतिवेदनों की प्रतियां संसद ग्रंथालय में भी रखी जाती हैं।

प्रतिवेदन और कार्यवाही-सारांश

14. किसी विषय के संबंध में समिति के निष्कर्ष उसके प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट होते हैं जोकि समिति द्वारा स्वीकृत होने के पश्चात् सभापति द्वारा लोक सभा में प्रस्तुत किये जाते हैं। प्रतिवेदन की एक प्रति राज्य सभा के पटल पर भी रखी जाती है। समिति की बैठकों के कार्यवाही सारांश भी प्रतिवेदन सहित क्रमशः लोक सभा/राज्य सभा के पटल पर रखे जाते हैं।

समिति के प्रतिवेदनों को सदस्यों की आम सहमति से स्वीकृत किया जाता है। तद्नुसार, प्रतिवेदन में विमत टिप्पण शामिल करने की कोई प्रथा नहीं है।

की-गई-कार्यवाही प्रतिवेदन

15. लोक सभा में प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने के बाद उसकी प्रतियां संबंधित मंत्रालय अथवा विभाग को भेजी जाती हैं तथा उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों और निष्कर्षों पर कार्यवाही करें तथा तीन महीने की अवधि के भीतर उन पर की-गई-कार्यवाही संबंधी उत्तर भेजें।

समिति, की-गई-कार्यवाही के संबंध में मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त उत्तरों की जांच करती है और तत्पश्चात् की-गई-कार्यवाही संबंधी प्रतिवेदन लोक सभा में प्रस्तुत किये जाते हैं और राज्य सभा के पटल पर रखे जाते हैं।

की-गई-कार्यवाही प्रतिवेदनों पर की-गई-कार्यवाही का विवरण

16. की-गई-कार्यवाही प्रतिवेदनों में अन्तर्विष्ट सिफारिशों के संबंध में सरकार से प्राप्त उत्तरों को भी विवरणों के रूप में लोक सभा/राज्य सभा पटल पर रखा जाता है।

शिकायतों/प्रतिवेदनों का निपटान

17. समिति को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों और विभिन्न अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कल्याण संघों की ओर से उनके कल्याण संबंधी अनेक मामलों की शिकायतें प्राप्त होती हैं। सचिवालय में प्राप्त शिकायतों/अभ्यावेदनों की जांच की जाती है और वास्तविक मामलों को केन्द्रीय/राज्य सरकारों के प्राधिकारियों के पास निवारण अथवा टिप्पणियों के लिए भेजा जाता है।

[अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति का गठन और कार्यचालन लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 253 से 286, 331क और 331ख और लोक सभा अध्यक्ष के निदेशों के निदेश 48 से 73 द्वारा शासित होता है।]